



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222684
CG-DL-E-23102020-222684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3339]
No.3339]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3767(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2539(अ) दिनांक-30.07.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले में NH-200(New NH-49) के कि.मी. 139.180 से कि.मी.160.687 (अनुविभागीय अधिकारी) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27.08.2020 " को "पत्रिका" और "हरि भूमि" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले में NH-200(New NH-49) के कि.मी. 139.180 से कि.मी.160.687 (अनुविभागीय अधिकारी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: जांजगीर-चांपा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अकलतरा				
	गांव का नाम: किरारी				
1	4	निजी	कृषि	0.04	श्री दिनेश शर्मा पिता श्री जगदीश चंद तिवारी (4)
	गांव का नाम: तरौद				
2	82	निजी	कृषि	0.093	श्री रामकुमार, सनत कुमार, शिवकुमार, केशव कुमार, पिता- केदारनाथ जाति-ब्राम्हण भू-स्वामी (82)
			कुल	0.133	

[फा. सं. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2020

S.O. 3767(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No.2539(E) Dated-30.07.2020 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-200(New NH-49)_ on the stretch of land from Km 139.180 to Km 160.687(Bilaspur-Urdawal Section) in the District of JANJGIR -CHAMPA in the state of CHHATTISGARH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Patrika” and “Hari Bhoomi” both dated 27.08.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, within the land of stretch from KM. 139.180 to KM. 160.687 (Bilaspur-Urdawal Section) of the NH200 (New NH-49) in the State of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH District: JANJGIR -CHAMPA					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Akaltara				
	Village: Kirari				
1	4	Private	Agriculture	0.04	Shri Dinesh Sharma S/O Shri Jagdish Chand Tiwari 4
	Village: Taraud				
2	82	Private	Agriculture	0.093	Shri Ramkumar, Sanat Kumar , Shiv Kumar , Keshaw Kumar , S/O Kedarnath Caste-Brahman Bhu-Swami 82
			TOTAL	0.133	

[F. No. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.